औद्योगिक विकास

संख्या–3738/9–आ–3–1998–109 वि/ 98

प्रेषक, **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,**
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 1998

विषय : औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू–आच्छदन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों की वर्तमान भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्डों हेतु अनुमन्य अधिकतम एफ.ए.आर. देश क`ओद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील कतपय राज्यों की तुलना में लगभग आधा है इस सम्बन्ध में कई उद्यमियों द्वारा उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा उद्योग बन्धु के माध्यम से शासन के समक्ष यह समस्या प्रस्तुत की गई कि उत्तर प्रदेश में एफ.ए.आर. कम होने के कारण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अथवा उनमें संवर्धन/विस्तार हेतु अपेक्षाकृत अधिक भूमि क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है जिसके फलस्वरूप इकाई की लागत बढ़ जाती है अतः उद्यमियों द्वारा यह माँग की जा रही है कि एफ.ए.आर. की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाए।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देन तथा औद्योगिक भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि औद्यागिक भूखण्डों हेतु वर्तमान में अनुमन्य एफ.ए.आर. को देश के अनय प्रगतिशील राज्यों के समान आकर्षक बनाया जाए।

(3) अतः उ0प्र0 (नगर योजना एवं विकास) अधिनियम, 1973 की धारा–41 के उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन श्री राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि औद्योगिक भूखण्डों हेतु अधिकतम भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के प्राविधान निम्नानुसार रखे जायेंगेः–

क्रमांक	भूखण्ड का आकार (वर्ग मीटर)	अधिकतम भू–आच्छादन प्रतिशत	अधिकतम एफ.ए.आर.
1.	100 तक	60	120
2.	101–450	60	100
3.	451–2000	55	80
4.	2001–12000	55	70
5.	12,001–20,000	50	65
6.	20,000 से अधिक	50	60

(4) कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–3738(1)/9–आ–3–1997 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2). अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु उ0प्र0।
(3). प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, लखनऊ।
(4) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उ0प्र0।
(5) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(6) समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियन्त्रक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) अपर निदेशक, नियोजन आवास बन्धु।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–4195/9–आ–1–98–153 विविध/98

प्रेषक,

श्री रामबृक्ष प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

2. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास सवं विकास परिषद, लखनऊ।

3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 1998

विषय : नवीन औद्योगिक नीति 1998 के अन्तर्गत उद्यमियों को विशिष्टि दर्जा दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग–6 के पत्र सं. 1438/77–6–98, दिनाँक : 22–06–1998 जो नई औद्योगिक नीति 1998 के अन्तर्गत उद्यमियों को विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है, की प्रतिलिपि आपके अनुपालनार्थ भेजने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या–1438/77–6–98

प्रेषक,

श्री योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाअधिकारी
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग –6 लखनऊ : दिनाँक : 22 अक्टूबर, 1998

महोदय,

नवीन औद्योगिक नीति–1998 में प्रदेश उद्यमियों को विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा दिए जाने का प्रविधान किया गया है इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के उद्योगोंके प्रति उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया हौ कि विशिष्टि श्रेणी के उद्यामियों को वी.आई.पी. कार्डकी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। यह सुविधा 50 करोड़ रूपये के निवेश से स्थापित ड्योगों के प्रर्वतकों, 10 करोड़ रूपये निवेश के उपर की इलेक्ट्रान्किस एवं कृषि व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई के प्रवर्तकों एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योगों के प्रवर्तकों को उपलब्ध करायी जाएगी।

उक्त अतिरिक्त यह सुविधा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक संगठन जैसे :– कॉफ्रेडरेशन आफ इंडियन इण्डस्ट्री, नी0एच0डी0 चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, इडियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, एसासिएटेड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री एवं फिक्की के प्रदेश अध्यक्ष तथा महामंत्री/महासचिवों को भी अनुमन्य होगी। इस संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को एवं सेक्रेटरी जनरलों को भी यह कार्ड प्रदान किए जाऐंगे।

उक्त कार्ड के धारकों को सभी शासकीय कार्यालयों में प्रथमिकता प्रदान की जाएगी तथा उनके सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किए जाएंगे। सभी शासकीय आधिकारियों द्वारा वी0आई0पी0 कार्ड धारकों को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाएगा, जनप्रतिनिधयों के बाद मिलने में प्राथमिकता दी जाएगी। वी0आई0पी0 कार्ड धारकों के पत्रों की पावती अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अन्दर की जाएगी तथा उनके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर ततपश्चात निर्णण लेकर चार सप्ताह की अधिकतम अवधि में उन्हें लिए गए निर्णण से अवगत कराया जाएगा।

उक्त सुविधा के साथ वी0आई0पी0 कार्ड धारकों के उद्योगों से संबंधित तीन प्रतिनिधियों को ग्रीन कार्ड सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी तथा उन्हें भी वह सभी सुविधाएँ उपलब्ध होगी जो वी0आई0पी0 कार्ड धारकों को अनुमन्य होगी। यह ग्रीन कार्ड केवल वी0आई0पी0 कार्ड धारकों द्वारा नामित तीन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराए जाएंगे जो कम से कम मण्डलीय/क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के स्तर के हों यह कार्ड भी उद्योग बन्धु द्वारा जारी किए जाएंगे।

भवदीय,

योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव

संख्या–5082/9–आ–1–1998–281–छ/94

प्रेषक,
श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ
2. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

आवास आनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 15.12.1998

विषय : औद्योगिक प्रयोजन हेतु किये गये पटटे का आवासीय मे ंपरिवर्तन।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण ओए है जिनमें भूखण्ड का पट्टा औद्योगिक कार्यों हेतु है, परन्तु उस पर उद्योग स्थापित होने से पूर्व ही किन्हीं कारणों सेउस नगर की महायोजना में उस स्था को आवासीय उपयोग हेतु रख दिया गया है। ऐसे प्रकरणों में मुख्य समस्या यह आ रही है कि सम्बन्धित भूखण्ड पर उद्योग इसलिए स्थापित नहीं हो सकता क्योकि उस नगर की महायोजना में उस क्षेत्र का भू–उपयोग रिहायशी है। इसी प्रकार उस पर आवास इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि उसका पट्टा औद्योगिक के लिए है। अतः सम्पूर्ण प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में निष्पादित विलेख में अकित शब्द निम्नलिखित शर्तों के अधीन ''औद्योगिक'' के स्थान पर ''आवासीय'' कर दिया जाय :–

(1) भूखण्ड का पट्टा औद्योगिक कार्यों के लिए होने के कारण उसके लिए वांछित पहुँच मार्ग, विद्युत डेनेज का स्थल पर उपलब्ध होना अनुषांगिक है।

(2) जिस तिथि को सम्बन्धित भूखण्ड का भू–उपयोग महायोजना में औद्योगिक से आवासीय में परिवर्तित किया गया हो। उस तिथि को इस क्षेत्र में स्थित आवासीय योजना के केवल वाह्य रूप से विकसित आवासीय भूखण्ड की दर तथा उसी तिथि को उस क्षेत्र में लागू औद्योगिक भूखण्ड की दर का अन्तर आवंण्टी से 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ जमा करवा कर इस भूखण्ड के पट्टे को उसी तिथि से आवासीय में परिवर्तित कर दिया जाए तथा उस तिथि को उस क्षेत्र में लागू आवासीय भूखण्ड की दर का 1 प्रतिशत लीज रेन्ट मान लिया जाए।

(3) यदि उक्त पुरानी दरें उपलब्ध न हो पा रहीं हो तो भारत सरकार द्वारा घोषित ''कास्ट इन्डेक्स'' को आधार बनाया जा सकता है।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर विकास प्राधिकरणलीज संशोधन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–5082(1)/9–आ–1–1998 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

(1) अधिशाषी निदेशक, आवास बन्धु।

(2) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या– 1094/9–आ–1–1999

प्रेषक,
श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. समस्त उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सक्षम प्राधिकारी,
नगर भूमि सीमारोपण,
उत्तर प्रदेश।

अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 24 फरवरी, 1999

विषय : औद्योगिक नीति–1998 के अन्तर्गत "एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था" प्रक्रिया का क्रियान्वयन–औद्योगिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने केलिए अनुकूल वातारण सृजित करने तथा उद्यमियों के वहुमूल्य समय का सदुपयोग उत्पादन वृद्धि हेतु केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति–1998 के अन्तर्गत शाासन द्वारा " एक ही छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था" की संरचना की गयी है। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग हेतु विभिन्न विभागों से वाछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों, लाइसेन्स इत्यादि के सम्बन्ध में आवेदन पत्र का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रिय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराना है ताकि उद्यामियों को विभिन्न विभागों में उक्त कार्य हेतु बार'बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके।

2. इस सम्बन्ध में "एक ही छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था" के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भवन मानचित्रों के अनुमोदन तथा नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :–

(i) विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद तथा सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण द्वारा मानचित्र स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र निर्धारित आवेदन प्रपत्र का प्रारूप एवं उसके साथ जमा कि जाने वाले शुल्क/ फीस की चेकलिस्ट सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराए जायेंगें प्रारूप संलग्न है जिसमें यथा आवश्यक संशोधन कर लिया जाए।

(ii) भवन मानचित्र के अनुमोदन से सम्बन्धित कार्य हेतु प्रत्येक विकास प्राधिकरण तथा आवास परिषद में एक सहायक अभियन्ता को तथा नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय में एक सहायक अभियन्ता को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा।

(iii) नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को जिला उद्योग केन्द्र जाकर अपने विभाग से सम्बन्धित उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को चेक लिस्ट के अनुसार विश्लेषण करके हय चेक करेंगें कि उक्त आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर, निर्धारित संलग्नकों एवं शुल्कों के साथ प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदन पत्रमें कोई कमी है तो उसको लिखित रूप से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उसी समय सूचित कर देगें। इसके पश्चात उक्त आवेदन पत्र की पूर्णता के सम्बन्ध मे ंकिसी भी अन्य प्रपत्र/ सूचना इत्यादि की माग नहीं कीजा सकेगी। परनतु नोडल अधिकारी द्वारा अनावश्यक अनापत्तियाँ नहीं लगायी जाएगी। इस प्रकार इंगित की गई आपत्तियों का निराकरण महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कराया जाएगा।

(iv) पूर्ण पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अग्रिम शुक्रवार को अपने कार्यालय में नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद तथा सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण एक माह में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को अपने निर्णय की लिखित सूचना उपलब्ध करा देगें। यदि आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य है, तो उक्त अवधि के अन्दर स्वीकृत किया जाएगा अन्यथा निरस्त किया जायेगा।

अग्नि शमन सम्बन्धी आपत्तियां महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सीधे प्राप्त की जाएंगी और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने की कार्यवाही स्वयं सुनिश्चित कराई जाएगी। इसलिए अग्निशमन एन0ओ0सी0 की आवश्यकता होन`की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र की स्वीकृति देते समय हय भी अंकन कर दिया जाएगा कि प्राधिकरण की स्वीकृति अग्निशमन विभाग द्वारा देय अनापत्ति के उन्तर्गत ही होगी, जिसे सिंगल टेबुल प्रणाली में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अलग से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है।

स्वीकृति के समय देय शुल्कों के आधार पर गणना कर सीधे आवेदक को भूगतान हेतु अवगत कराते हुए, महाप्रबन्धक को भी अवगत कराया जाएगा कि अमुक मदों में रूपये...................... (गणना के अनुसार) धनराशि के भूगतान के उपरान्त ही महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, स्वीकृति निर्गत करें जिस हेतु वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। भूगतान प्राप्त होने का लेखा रखा जाए।

(v) पूर्ण आवेदन पपत्र की प्राप्ति के उपरान्त यदि विकास प्राधिकरण/आवास परिषद/सक्षम प्राधिकरण नगर भूमि सीमारोपण से यदि निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित निर्णय महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है तो उक्त आवेदन पत्र स्वतः स्वीकृत (डीम्ड एप्रूवेल) माना जाएगा। समय सारिणी के अन्दर निर्णय प्राप्त न होने के कारणों की जाँच करायी जाएगी तथा उत्तरदायित्व निश्चित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(vi) उपरोक्त व्यवस्था वहीं लागू होगी जहाँ भवन मानचित्र स्वीकृति का अधिकार महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के अधिकारी को प्रतिनिधानित नहीं है। जहाँ प्रतिनिधानित है, वहा पर सिंगल टेबुल व्यवस्था हेतु आवश्यक व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की जाएगी।

संलग्नक : (उपरोक्तानुसार 10 पृष्ठ)

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पत्रांक संख्या–1094(1)/9–आ–1–1999 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव के पत्र संख्या–8139/77–6–98 दिनांक 14.2.1998 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित जिलों के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, कानपुर तथा उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र के प्रस्तर–(2)(अप) के अन्तर्गत व्यवस्था हेतु अपने स्तर से समुचित निर्देश जारी करने की व्यवस्था करा दें।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या–................................

प्रपत्र – I

मूल्य पाँच रूपया

उत्तर प्रदेश नगर–योजना और अधिनियम, 1970
की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन
प्रार्थना–पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

दिनांक...19 ई0

विकास प्राधिकरण,
विकास क्षेत्र,

महोदय,

मै/हम (क) नीचे वर्णित स्थल का विकास करने या आरम्भ करने (ख) नीचे वर्णित स्थल पर भवन/भवनों का निर्माण करने, (ग) नीचे वर्णित स्थल पर खुदाई करने या खुदाई को बढ़ाने,(घ) नीचे वर्णित सड़क से मिलने वाला कोई रास्ता बनाने की अनुज्ञा के लिए प्रार्थना करता हूँ/करते है।

मैं/ हम स्थल के नक्शे की छः प्रतियां (नीलमुद्र या मोमजामे पर निर्मित नक्शे) संलग्न करता हूँ/ करते हैं जिसम ंउस स्थल को जिसका विकास या खुदाई करने का प्रस्ताव है या उस भूखण्ड को, जिस पर निर्माण करने का प्रस्ताव है। स्थिति और स्वीकृति विन्यास, यदि कोई हो, को तुलना में दिखाया गया है।

मैं/हम स्थल के नक्शे की छः प्रतियाँ (नीलमुद्र या मोमजामे पर निर्मित नक्शों) प्रस्तुत करता हूँ/ करते है। जिससे मेरे/ हमारे क्षेत्र पर प्रस्तुत महायोजना/परिक्षेत्रीय विकास योजना की अपेक्षानुसार ऊँचाई और प्रस्तावित भवन की निर्दिष्टियां दिखाई गई है।

मै/हम उस भूमि का/के स्वामी, पट्टेदार हूं/है जिसके लिए मैं/हम प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ/ दे रहे है।

1. भूमि का विवरण :–

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटरों में..

(ख) उसकी नगरपालिका द्वार दी गयी संख्या या ब्यौरा तथा वर्णन यदि ग्रामीण क्षेत्र है, तो खसरा संख्या इत्यादि.......................................
....

(ग) प्रयोजन जिसके लिए भवन उपयोग में लाया जायेगा, उदाहरणार्थ भूमि के उपयोग...
....

2. सड़क का वर्णन–

3. कारीगर व निर्माण–सामग्री के सामान्य व ब्यौरेवार विशिष्टियाँ...

भवदीय,

संलग्न :–

हस्ताक्षर..
स्थानीय पता..
....

प्रपत्र – II

मूल्य रू. 10

प्रथम / द्वितीय / तृतीय **व्तपहपदंसः क्नचसपबंजमः ज्तपचसपबंजम**

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

ळव्टम्त्छडम्छज व् फ्छक्प्|

डप्छैप्ज्त्ल् व् न्त्ठ।छ क्म्टम्स्व्च्डम्छज

छ।ज्प्व्छ।स् ठन्प्स्क्प्छळै व्ळ।छै।ज्प्व्छ

अनुसूची–II मार्च, 19.................................. को समाप्त होने वाले वर्ष की विवरणी

Schedule-II Return for the year ending 31st March 19

यदि सांख्यिकीय विवरणी, राज्यों / संघ क्षेत्रों में 10,000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निजी क्षेत्र के मकानों और भवनों के मामले में भरी जानी है।

This statistical return is to be filled up in case of house and buildings in Private Sector from towns having a Population of 10,000 and above in States/ Union Territories.

I. शहर की पहचान (नगर निकाय द्वारा भरे जाने के लिए)

I. Town Identification (to be filled by the civic body)

1. शहर का नाम

1. Name of the town :

2. शहर की नागरिक स्थिति : कूट

कूट (नगर निगम 1. नगरपालिका 2. अधिसूचित क्षेत्र समिति 3. पंचायत 4. छावनी 5. अन्य 6)

2. Civic status of the town : Code

Codes (Municipal Crporn. 1. Mucicipality. 2. Notified Area Committee. 3.Panchayat 4. Cantonment. 5. Other. 6.)

3. शहर का आकार कोट

कूट (जनसंख्या 1, 00,000 या अधिक 1, 50, 000 से 99,000 के बीच 2, 20, 000 से 49, 999 के बीच 3 तथा 10, 000 से 19, 999 बीच 4)

3. Size of the town रु code Code

Codes रु (Population 1, 00,000 & aabove 1, betweem 50,000 –99, 999 2, between 20, 000 – 49, 999 3, and between 10, 000 – 19, 999 4)

4. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र :

4. State/UnionTerritory____________________________________

II. निर्माता की पहचान

II. Constructor Identification :_________________________________

1. गृहस्वामी का नाम

1. Name of the householder :__________________________________

परिवार का आकारः पुरूषों की संख्या : स्त्रियों की संख्या :

Household size : No. of males :________ No. of females :________

2. रोजगार का स्वरूप : कोड

कूट (स्व–रोजगार 1, निजी क्षेत्र 2, सार्वजनिक क्षेत्र 3, सरकारी सेवा 4, तथा अन्य 5)

2. Nature of employment : रु Code Code

Codes रु (Self-employment 1, Private Sector 2, Public Sector 3, Govt. Service 4 and Other 5,)

3. सकल मासिक आय : रूपये
3. Gross Monthly income Rs.________________

4. सामाजिक ग्रुप : कोड
कूट (अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जन जाति 2, अन्य पिछड़े वर्ग 3, अन्य 4.)
4. Social Group : # # Code Code
Code # # (Scheduled Caste 1, Scheduled Tribe 2, Other back ward classes 3, and others 4,)

III. आधार भूत ब्यौरे
III. Basic Details Code

1. निर्माण का स्वरूप कूट (नया 1, वृद्धि परिवर्तन 2, तथा मरम्मत व देखरेख) कूट
1. Nature of construction : @ Code Code
Codes @ (New 1, addition/alteration 2, & repair & maintenance 3,)

2. निर्माण का प्रकार :कूट कूट
कूट (रिहायशी एकक 1, अन्य आवासीय भवन 2, औद्योगिक भवन 3, व्यापारिक भवन–4)
2. Type of construction : Code Code
Codes (Dwellings 1, Other residential buildings 2, Industrial buidings 3, Commercial buildings 4. Institutionsal buildings 5 and Other 6)

3. भवन में मंजिलों की संख्या
3. Number of storeys in the building________________________

4. भवन में सभी फर्शों का मुल फर्शी क्षेत्रफल वर्ग मीटर
4. Total slinth area of all the floors in the building___________Sq. mts.

5. रिहायशी इकाइयों की संख्या :–
5. Number of dwelling units :-

1 कमरे वाले एकक, 2 कमरे वाले एकक, 3 कमरे वाले एकक, 4 या अधिक कमरे वाले एकक
1 तववउ नदपजए 2 तववउ नदपजए 3 तववउ नदपज 4 वत उवतम तववउ नदपजे

6. भवन में सभी फर्शों का कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर
6. Total floor area of all the floors in the building_________Sq. mts.

7. अनुमानित निर्माण लागत–––––––––––––––––––––––––––––––––रूपये
भूमि भूखण्ड लागत –––––––––––––––––––––––––––––––––––रूपये
7. Exstimated construction cost_____________________________Rs.
Land/plot cost____Rs.

8. वित्तीय स्रोत–बचत/ऋण
8. Source of finance-savings/loan

9. यदि ऋण है तो एजेंसी का नाम
9. If loan, name of the agency (i)_______________(ii)________________
ली गयी ब्याज दर
Rate of interest charged (i)____________________(ii)________________

10. प्राधिकरण जारी करने की संख्या तथा तारीख
10. Number and date of issue of authorisation Certificate _____________

11. निर्माण आरम्भ करने की तारीख
11. Date of commencement of construction________________________

12. निर्माण पूरा करने की तारीख
12. Date of completion of construction____________________________

IV.मूलभूत सुविधाएं

IV.Basic Amenities

2. रिहायशी कमरों की संख्या

2- Number of living rooms

कमानुसार प्रत्येक रिहायशी कमरे का क्षेत्रफल----वर्ग मी----वर्ग मी-----

Area of each of the living rooms sq. mt______Sq.mt.___Sq.mt.___respectively.

2. रसोई हा/नहीं

यदि हाँ तो रसोई का क्षेत्रफल-------------------------वर्ग मीटर

2. Kitchen Yes/No

if yes Area of the kitchen________________________________sq. mt.

3. शौचालय की व्यवस्था हाँ/नहीं

यदि हाँ शौचालय का टाइप कूट

3. Provision of Latrine facility Yes/No

if yes, type of latrine @ Code Code

कूट ख (शुष्क 1, सेप्टिक 2, फ्लश 3, तथा वेस्टर्न 4) यदि नहीं तो मकान से शौचालय की दूरी (10 मीटर से कम 1, 10–20 मीटर के बीच 2, 20–30 मीटर के बीच 3 तथा 30 मीटर से अधिक 4) कूट

Codes @ (Dry 1, Septic 2, flush 3, Sulabh 4) Code

If no, distance of latrine from the house @@ Code

Codes @@ <less than 10 mts. 1, Between 10 mts.& 20 mts. 2, Between 20 mts. and 30 mts. 3, above 30 mts. 4

4. स्नानगृह की सुविधा के लिए व्यवस्था हाँ/नहीं कूट

यदि नहीं तो स्नानगृह की टाइप कूट (खुला 1 तथा एकांत 2) Code

(खुले से तात्पर्य जिसमे तात्कालिक/काम चलाऊ व्यवस्था हो)

4.Provision of Bthroom facility

If yes, type bath @ @ @ Code

Code @ @ @ (Open 1, and Secluded 2)

(Open includes improvised/make shift arrangements)

यदि नहीं तो स्नानगृह की दूरी

कूट (10 मीटर से कम 1, 10–20 मीटर के बीच 2, 20–30 मीटर के बीच 3,30 मीटर से अधिक 4) कूट

Codes @ @ Less than 10 mts. 1, between 10 mts. & 20 mts. 2, between 20 mts. & 30 mts. 3 & above 30 mts. 4 Code

पेय जल क व्यवस्था हाँ/नहीं कूट

यदि हाँ तो पेयजल का स्रोत बताएँ Code

कूट (टेंक या नदी 1, कुआं 2, नल 3, अन्य विशेष 4)

5. Provision of Drinking water yes/no

If yes then indicates source of drinking water @ code

Code @ (Tank or rive 1, well 2, tap 3, others specify 4.)

6. यदि नल है तो पानी कितने घन्टे उपलब्ध रहता है।

कूट (3 घन्टे से कम 1, 3 से 6 घन्टे के बीच 2, 6 घन्टे से अधिक 3) कोड

If tap water is supplied daily duration of availability : @ @ Code Code

Code @ @ (Less than 3 hrs. 1, between 3 & 6 hrs. 2, Over 6 hrs. 3.)

7. मल निकासी तथा जल निकासी व्यवस्था हाँ/नहीं

7. Sewerage and drainage arrangements yes/no

8. कूड़ा करकट ले जाने की व्यवस्था हाँ/नहीं

Garbage disposal arragement yes/no

9. जल भण्डारण टैंक हाँ/नहीं

9.Storage water tank yes/no

If yes. overhead/ underground

10.खुला आँगन हाँ / नहीं कूट

10. Open yes/no Code

11. निम्नलिखित सुविधाओं में भागीदारी करने वाले परिवारों की संख्या

11. Number of families sharing the following facilities

सुविधाएं Facilities	परिवारों की संख्या No.of families
जल Water	____________________
स्नानगृह Bathroom	_______________________
शौचालय Latrine	___________________________

12. बहुमंजिले भवनों के मामले में

12. In case of multistoreyed building

(i)पार्किंग व्यवस्था हाँ / नहीं

(i) Parking arragement yes/no

(ii) अग्निशमन व्यवस्था हाँ / नहीं

(ii) fire-fighting arragement yes/no

V.आधारभूत सुविधायें

V. Infratructural facilities

1. कार्यरत की दूरी कूट

कूट (4 कि. मी. से कम (1), 4 से 10 कि.मी. बीच (2), 10 से 20 कि.मी. के बीच (3), 20 कि.मी. से अधिक (4)) कूट

1.Distance of place of work # Code Code

Code # (Less than 4 Kms. 1, between 4 & 10 kms. 2, between 10 & 20 kms. 3, and over 20 kms. 4)

2. उपयोग किए जाने वाले वाहन की किस्म

कूट (पैदल 1, साईकिल 2, स्कूटर / मोटर साईकिल 3, कार 4 तथा सार्वजनिक वाहन, 5) कूट

(एक से अधिक ढंग के वाहन प्रयोग करने के मामले दो संख्याओं का कूअ हो सकता है)

2. Type of transport used ## Code Code

Code # # (walk 1, bicycle 2, scooter/ motor cycle 3, car 4 and public transport 5)

(Code may be of two digits in case of using more than one mode of transport)

3. पहुँच मार्ग की चौडई...मीटर

3. Width of the approch road...mts.

4. भवन से इसकी दूरी

कूट (50 मीटर से कम (1), 50 से 100 मीटर के बीच (2), कूट से 150 मीटर के बीच (3)150 मीटर से अधिक (4))

4. Its Distance from building :# # # code Code

Code # # # (Less than 50 mts. 1, between 50 &100 mts. 2, between 100 & 150 mts. 3, and above mts 4)

5. प्राथमिक विद्यालय की दूरी

कूट (1/2 कि.मी. से कम (1), 1/2 कि.मी. से 1 कि.मी. के बीच (2), 1–2 कि.मी. के बीच (3), कूट

तथा 2 कि.मी. से अधिक (4)) Code

5. Distance of primary school : $ code

Code $ (Less than 1/2 km. 1, between 1/2 & 1 km. 2, between 1 & 2 km. 3, and above 2 km. 4)

6. प्राथमिक विद्यालय की दूरी

कूट (1 कि.मी. से कम (1), 1 कि.मी. से 2 कि.मी. के बीच (2), कूट

2 से 3 कि.मी. के बीच (3), तथा 3 कि.मी. से अधिक (4)) Code

6. Distance of secondary school : $$ code
Code $ (Less than 1km. 1, between 1 & 2 km. 2, between 2 & 3 km. 3, and above 3 km. 4)

7. डाकघर की दूरी कूट
कूट (3 कि.मी. से कम (1), 1 कि.मी. से 2 कि.मी. के बीच (2), कूट
2 से 3 कि.मी. के बीच (3), तथा 3 कि.मी.से आधिक (4)) Code

7. Distance of post office : $$ code
Code $$ (Less than 3 km. 1, between 1&2 km. 2, between 2&3 km. 3, and above 3 km. 4)

8. बैंक से दूरी कूट
कूट (1 कि.मी. से कम (1), 1 कि.मी. से 2 कि.मी. के बीच (2) कूट
2 से3 कि.मी. के बीच (3), तथा 3 कि.मी. से अधिक (4)) Code

8. Distance of Bank : $$ code
Code $$ (Less than 1 km. 1, between 1&2 km. 2, between 2&3 km. 3, and above 3 km. 4)

9. बाजर की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
9. Distance of market	Code	Select from A
10. कालेज की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
10. Distance of college	Code	Select from A
11. पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
11. Distance of Police Station/ police chauki	Code	Select from A
12. अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालय की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
12. Distance of Hospital/Health Centre Dispensary	Code	Select from A
13. दमकल केन्द्र की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
13. Distance of Fire Station	Code	Select from A
14. रेलवे स्टेशन की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
14. Distance of railway station	Code	Select from A
15. अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
15. Distance of ISBT	Code	Select from A
16. पार्क की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
16. Distance of Park	Code	Select from A
17. सामुदायिक केन्द्र की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
17. Distance of community centre	Code	Select from A
18. पुस्तकालय की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
18. Distance of Library	Code	Select from A
19. सिनेमा घर की दूरी	कूट	''क'' में से चुनें
Distance of Cinema	Code	Select from A

कूट ''क'' (1 कि.मी. से कम (1), 1 कि.मी. से 3 कि.मी. के बीच (2), 3 से 5 कि.मी. के बीच (3), तथा 5 कि.मी. से अधिक (4))
Code "A" (Less than 1 km. 1, between 1 - 3 km. 2, between 3 -5 km. 3, and above 5 km. 4)

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
NATIONAL BUILDINGS OGANISATION

अनुसूची– II को भरने के अनुदेश

INSTRUCTION FOR FILLING SCHEDULE- II

1. आवेदनकर्ता (प्रस्तावित निर्मितके मालिक/मालिकों अथवा अधिकृत एजेंट/एजेंटों) को प्राधिकरण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए तथा रिहायश के लिए दखल प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए पूर्ति सूचना सहित इस अनुसूची की दो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए।

This schedule duly filled in duplicate by ther applicant (owner/owners of the proposed construction or authorised agen/agents) shojld accom;any the application for issue of authorisation Certificate sa well as along with completion notice for issue of 'occupancy certificate' (also called fitness certificate)

2. नया निर्माण का अभिप्राय विल्कुल नया ढांचा खड़ा करने से हे चाहे वह स्थान जिस पर यह ढांचा खड़ा किया है पहले से दखल में हो या न हो। मौजूद इमारत के भीतर किए गए संरचनात्मक परिवर्तन को फेर–बदल कहते हैं जबकि इमारत में वृद्धि करने का अभिप्राय इमारत को खड़ा करने से है जिससे फर्शी क्षेत्रफल में वृद्धि होती है।

New Constructions means creation of an entirely new structure whether the site on which it is built has before been occupied or not. Alterations to existing building relate to structural changes carried out within a building whereas additions will means enlargement of building by which floor area is added.

3. **निर्माण का प्रकार** : प्रत्येक प्रकार की निर्मित के लिए अलग–अलग फार्म का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ निर्मित एक से अधिक प्रकारों की हो जैसे कि रिहायशी–सह व्यापारिक, वहां निर्मित का फर्शी क्षेत्रफल जिस प्रकार से अधिक हो उसी प्रकार में उस निर्मित की गणना करनी चाहिए।

4. **कुर्सी क्षेत्रफल** : कुर्सी की सतह के ऊपर इमारत द्वारा आच्छादित भूमि के क्षेत्रफल को कुर्सी क्षेत्रफल कहते हैं।

4. Plinth : It means ground area covered by the building immediately above the plinth level.

5. फर्शी क्षेत्रफल (अथवा कार्पेट एरिया) : छतों द्वारा आच्छदित तथा इस्तेमाल में आने वाले स्थान को कहते हैं।

5. Floor area (or carpet area) : It means inside usable roofed area.

6. मौजूदा इमारत में फेरबदल तथा/ अथवा वृद्धि करने की स्थिति में कृपया मद 3 व 4 में दिए गए फर्शी क्षेत्रफल तथा फर्शी क्षेत्रफल का सम्बन्ध निर्माण द्वारा क्षेत्रफल के बढ़ाये जाने की स्थिति में उससे होना चाहिए।

6. In case of alterations and/or additions to existing building plinth area and floor area shown against items 3 and 4 respectively should relate to the area, if any, added by construction.

7. **रिहायशी एकक** : इसका अर्थ जा एक कमरा अथवा कमरों का एक सुइट तथा उसके साथ की उपनिर्मितियां यदि कोई हों (जैसे रसोई, भंडार, स्नानघर, शौचालय आदि) जो एक स्थाई इमारत अथवा संरचनात्मक रूप से पृथक भाग में बनाए गए, दोबारा बनाए गए अथवा परिवर्तित किए गए हों तथा जिसे एक परिवार के निवास के लिए इस्तेमाल किए जाने का विचार हो। इसमें गली तक अथवा बाहर तक आने का रास्ता हो। रिहायशी एकक के कमरे गिनते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल सोने के कमरों, खाना खाने के कमरों तथा आमतौर से रहने में आने वाले कमरों को ही गिना जाय (कांचीन बरामदे, रसोई, स्नानघर तथा भंडार घर इत्यादि को गिनना चाहिए।)

Dwelling : It is a room or suite of rooms and its accessories viz., (Kitchen, Store, bath, latrine etc.) If any in a permanent building or structually separated part there of which by the way it has been built, rebuilt or converted is intended for habitatiion by one household. It should have a separate have separate access to the street or to a commans passge or stairways. Whileaccuning comes in dwelling unit, care should be taken to count only bed rooms, dining rooms, study rooms and normal living rooms (Glazed verandah, Kitchen, bath room, and store etc. should be excluded)

8. सभी रिहायशी इमारतों के रिहायशी एककों की संख्या तथा प्रकार का ब्यारा देना चाहिए तथा दूसरे प्रकार की इमारतों में कोई रिहायशी एकक बनाए गए हों तो उनका ब्यौरा भी देना चाहिए।

Number and tupe of dwelling units should be given for all residential buildings and for other types of buildings type of building also in case any dwelling units have been constructed there.

9. प्राधिकरण प्रमाण–पत्र जारी होने, निर्माण स्थल पर पहली निर्माण संबंधी व्यावहारिक कार्यवाही जैसे स्थल की तैयार इमारती सामान तथा उपकरणों की ढुलाई, खुदाई आरम्भ होने अथवा नींव उत्यादि बिछाने के बाद ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जाता है जब इमारत रिहायशी के लिए तैयार हो जाती है तो निर्माण पूरा हो जाती है। आमतौर पर पूर्ति प्रमाण–पत्र इसी तारीख में जारी किया जाती है जिस दिन से प्रार्थी ने पूर्ति सूचना दी होती है।

Constrution is commenced when the first physical operation are undertaken on the building site after the issue of ' Authorisation Certificate' e.g. site preparation, delivery of building materials and equipment on the site start of excavation or the laying of foundations, etc. Construction is completed when the building is physically ready to be occupied. Date of completion of onstruction will in general, be the same as the date of completion notice by the applicant.

10. कार्यालय द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र की संदर्भ संख्या यह होनी चाहिए जिससे प्रस्तावित अथवा पूरी की गई निर्मित के स्थान इमारत, नक्शे इत्यादि का कोई भी हवाला आसानी से मिल जाये।

The reference number of the application to be filled in by the office should be that number which facilities any reference of the site, building plans, etc., of the construction proposed or completed.

11. आधार–भूत सुख–सुविधाओं के बारे में किए गए ब्यौरे संशोधित अनुसूची–प्प की एक नई विशेषता है। पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का संभावितउत्तर या तो तत्काल दे दिया जाता है अथवा पृष्ठ के नीचे की ओर दे दिया जाता है। मांगी गई जानकारी के तुरन्त बाद उत्तर की कूट संख्या लिखी जानी चाहिए। सभी मदें स्वतः हैं तथा इन्हें भरने के लिए किन्हीं अनुदेशों की आवश्यकता नहीं है।

Details regarding basic amentities and infrastrucral facilities are a new feature of the revosed revised sheduled-II Possible answers toeach query are givenf either immediately after the quiry or at the bottom of pge, Code number of the answer is to be written just after the query. All the items are self-explanatory and does not need nay instructions for filling up.

INDEMNITY BOND

This deed of indemnity is made this.................................day of
....1999
by shri..
son of shri...
R/o...
Lucknow.

Whereas I am the holder of Plot No................................situated at..............................Lucknow, measuring................................situated

And whereas I have submitted the building plan for the construction of building over the said plot of land for sanction with Lucknow Development Authority (Vide application No........................ /LDA..................date...................19..........as required by section 15, of the Urban planning and Development Act-1976.

And whereas the sanctioning of the building plan. I have given an undertaking in the form of an affidavit 'copy enclosed' to the Lucknow Development Authority, Lucknow.

And whereas the Lucknow Development Authority has agreed to sanction the building plan on the aforesaid undertaking.

NOW THIS DEED WITNESS that in pursuance of the aforesaid affidavit and the consideration of Architect/Town planner (Dhawan) having agreed to sanction the building plan submitted vide my application No................L.D.A. /................dated...................in respect of the plot of land situated at....................Lucknow, and referred to above.

I do hereby undertake to indemnity and keep harmless the Lucknow, Development Authority from all peoceedings in court and before other authorities including the competent Authorityand other authorities appointed under the urban land ceiling Lucknow Development Authority, may in sure or become liable to pay as a result or comsequence of the sanction accorded by it to the building plan inrespect of the aforesaid plot.

I further state that I and my successors in interest shall abide by the aforesaid terms and conditions of the deed of indemnity.

Lucknow. Executant
Dated :

संख्या–954 / 9–आ–3–99–13 वि / 99

प्रेषक,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 5 मार्च, 1999

विषय : उत्तर प्रदेश, आद्योगिक विकास निगम क्षेत्रों में अतिक्रमण और अप्राधिकृत निर्माण नियंत्रण, शमन आदि विषयक अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 8911 / 9–आ–5–92–626 डी0ए0 / 92, दिनांक 26.12.1992 तथा 4176 / 9–आ–3–98–626 डी0ए0 / 92, दिनाँक 5.2.1998 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासन केसमख ऐसे उदाहरण हैं कि विकास क्षेत्रों मे स्थित उत्तर प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम क्षेत्रों में जितने भी अतिक्रमण अथवा स्वीकृत नक्शे के विरूद्ध निर्माण किये जाते हैं, उसका नियमितीकरण अथवा शमन अभी तक प्राधिकरण द्वारा ही किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों पर समय–समय पर आच्छादित क्षेत्रफल के घटने–बढ़ने के कारण भूमि विवाद तथा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा सड़ाकें एवं पार्कों पर पूर्ण रूप में अवैध निर्माण कर कब्जा करने का तथ्य भी संज्ञान में लाया गया है। शासनादेशानुसार अब कोई भी निरीक्षणकर्ता किसी औद्योगिक संस्थान में प्रवेश करने से पूर्व आयुक्त अथवा जिलाधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के आवंटियों द्वारा मास्टर प्लान कमे उल्लघंन की बात प्रकाश में आयी है। अब चूँकि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत ''वन विण्डोसिस्टम'' लागू कर दिया गया है, अतः उपयुक्त पाया गया कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 ही अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही करें ओर उससे होने वाली आय को अपने क्षेत्रों के विकास में लगाये क्योंकि शासनादेशानुसार जो भी आय शमन अथवा अतिक्रमण हटाने से होगी, उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड, जो जिलाधिकारी के अधीनस्थ होगा, को आयुक्त के आदेशों से व्यय किया जायेगा।

अतएव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन यह निदेश देते हैं कि उक्त निगम के पदनामित पदेन उपसचिव को उनके कार्यक्षेत्र में स्थापित विकास प्राधिकरण में उक्त अधिनियम की धारा–15 के अधीन प्रतिनिहित अधिकारों के क्रम में धारा 25,26, 26,क 26 ख, 26 घ, 27, 28, 28 क, 32 तथा 41 के अधिकारों का प्रतिनिधायन अधिनियम की धारा–51 के अधीन कर दिया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–954(1) / 9–आ–3–99–13 वि / 99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) प्रबन्ध निदेशगक, उ0प्र0 राज्य उद्योग विकास निगम, कानपुर।
(4) संबन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक।
(5) अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु
(6) उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव